



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2021—आश्विन 5, शक 1943

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-07-2018-सात-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला टीकमगढ़ की तहसील जतारा की सीमाएं, उसमें से प.ह.क्र. 1 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्के तथा 43 ग्राम अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और प.ह.क्र. 1 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्के तथा 43 ग्राम को समविष्ट करते हुये नवीन तहसील दिगौड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 19 पटवारी हल्के तथा 43 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय दिगौड़ा में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-07-2018-सात-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-07-2018-सात-7 दिनांक 24 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव।

Bhopal, the 24th September 2021

No. F 01-07-2018-VII-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Jatara of District Tikamgarh from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Dighora and 43 villages and creates a new Tehsil Dighora by comprising of Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Dighora and 43 villages which shall be comprised of 19 Patwari Halkas and 43 villages. The headquarter of the new Tehsil shall be at Dighora.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-09-2020-सात-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा की तहसील हरसूद की सीमाएं, उसमें से प.ह.क्र. 1 से 16 (32 ग्राम) तथा पूर्ण ढूब के 31 ग्राम व 1 वनग्राम, इस प्रकार कुल 64 ग्राम अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है और प.ह.क्र. 1 से 16 (32 ग्राम) तथा पूर्ण ढूब के 31 ग्राम व 1 वनग्राम, इस प्रकार कुल 64 ग्राम समाविष्ट करते हुये नवीन तहसील किल्लौद का सृजन करती है, जिसमें कुल 16 पटवारी हल्के और 64 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय किल्लौद में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-09-2020-सात-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-09-2020-सात-7 दिनांक 24 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव।

Bhopal, the 24th September 2021

No. F 01-09-2020-VII-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Harsud of District Khandwa from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 16, 31 submerged villages and 01 Forest village and creates a new Tehsil Killod by comprising of Patwari Halka No. 01 to 16, 31 submerged villages and 01 Forest village which shall be comprised of 16 Patwari Halka and 64 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Killod.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-07-2020-सात-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बुरहानपुर की तहसील नेपानगर की सीमाएं, उसमें से प.ह.क्र. 1 से 11 तक कुल 11 पटवारी हल्के तथा 14 ग्राम अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और प.ह.क्र. 1 से 11 तक कुल 11 पटवारी हल्के तथा 14 ग्राम को समाविष्ट करते हुये नवीन तहसील धूलकोट का सृजन करती है, जिसमें कुल 11 पटवारी हल्के तथा 14 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय धूलकोट में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-07-2020-सात-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-07-2020-सात-7 दिनांक 24 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव।

Bhopal, the 24th September 2021

No. F 01-07-2020-VII-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Nepanagar of District Burhanpur from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 11 and 14 villages and creates a new Tehsil Dhulcot by comprising of Patwari Halka No. 01 to 11 and 14 villages which shall be comprised of 11 Patwari Halkas and 14 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Dhulcot.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ-१-०८-२०२०-सात-७.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा की तहसील पुनासा की सीमाएं उसमें से रा.नि.मं. मूंदी के प.ह.क्र. 60 से 82, रा.नि.मं. मोहना के प.ह.क्र. 32,34,35 तथा रा.नि.मं. पुनासा के प.ह.क्र. 51 से 55 को अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है और रा.नि.मं. मूंदी के प.ह.क्र. 60 से 82, रा.नि.मं. मोहना के प.ह.क्र. 32,34,35 तथा रा.नि.मं. पुनासा के प.ह.क्र. 51 से 55 को समाविष्ट करते हुये नवीन तहसील मूंदी का सृजन करती है, जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 60 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय मूंदी में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ-१-०८-२०२०-सात-७.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक १-०८-२०२०-सात-७ दिनांक 24 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 24th September 2021

No. F 01-08-2020-VII-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Punasa of District Khandwa from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 60 to 82 of Revenue Circle Mundi, Patwari Halka No. 32,34,35 of Revenue Circle Mohna and Patwari Halka No. 51 to 55 of Revenue Circle Punasa and creates a new Tehsil Mundi by comprising of Patwari Halka No. 60 to 82 of Revenue Circle Mundi, Patwari Halka No. 32,34,35 of Revenue Circle Mohna and Patwari Halka No. 51 to 55 of Revenue Circle Punasa which shall be comprised of 31 Patwari Halka and 60 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mundi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.